न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 200/14
निर्णय दिनांक: 14.06.2018

1. बिरदा पुत्र रामदेव
2. रामेश्वर पुत्र रामदेव
3. मन्नाराम पुत्र छोगा
4. दानाराम पुत्र छोगा

समस्त जाति बलाई नि0 सोलावता तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र भंवरलाल
2. पप्पू पुत्र लक्ष्मण
3. भागचन्द पुत्र मोहन
4. मदन पुत्र सुरजकरण
5. नंदकिशोर पुत्र सुरजकरण
6. रामनिवास पुत्र सुरजकरण
7. सुरेश पुत्र सुरजकरण
8. हीरालाल पुत्र डूंगाराम
9. श्रवण पुत्र लक्ष्मण
10. उगमचन्द पुत्र गंगाराम

समस्त जाति बलाई नि0 सोलावता तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 202 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 203 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सोलावता तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके वादीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है। वादीगण की उक्त आराजी में कोई दूसरा साझीदार व भागीदार नहीं है तथा वादीगण ने उक्त आराजी अपने उपयोग व उपभोग तथा फसल की सुरक्षा हेतु आराजी के चारो तरफ मिट्टी की डोल लगाकर महदूद कर रखा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा ना ही प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार व काश्तकार है वादीगण की उक्त आराजीयात के एकमात्र खातेदार है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के सींव पास में निर्माण करने की नियत से निर्माण सामग्री एकत्रित कर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 ने खं0नं0 203 व 204 की पूर्वी दिशा संलग्न नक्शा में मार्क बरंग लाल तथा प्रतिवादी सं0 8 संलग्न नक्शा मे दक्षिणी दिशा बरंग हरा से दर्शित स्थान पर

Scanned by CamScanner

चालू कर वादीगण की उक्त आराजीयात में जबरन प्रवेश कर वादीगण को उनके कब्जें काश्त की आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है इसी उदेश्य से प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.08.14 को सुने बिना वादीगण की आराजीयात का नाप चौंक करवाये जबरन वादीगण की आराजीयात में नीवें खोदकर निर्माण कार्य करना चालू किया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किय तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ झगड़ा करने पर आमादा हो गये इस कारण वादीगण को यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 की तरफ से वकील श्री योगेश कुमार शुक्ला ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नहीं किया इसलिए प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। वकील वादी ने वादी बिरदा का शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा में पेश हुयीं। वादी मय वकील व प्रतिवादी जगदीश उपस्थित हुए। मजमेंआम में सुना गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में नक्शा लठ्ठा, जमाबन्दी की नकल, नकल खसरा गिरदावरी पेश की है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खं0नं0 202 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 203 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सोलावता तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे ओर न ही वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें ओर न किसी अन्य से करावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

बिरदा वगै0   बनाम   जगदीश वगै0

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 200/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लालचन्द कुमावत व हाजरी श्री योगेश शुक्ला मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खं0नं0 202 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 203 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सोलावता तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे ओर न ही वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें ओर न किसी अन्य से करावें। ....निज .... मुबलिग............. .... बाबत्................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह....... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक. ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.........

मुहर

ओहदा

उप खण्ड अधिकारी

साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner